

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 21 जनवरी 2019—माघ 1, शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल
“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल—462 016

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2019

सूचना

क्र. 336-वि.यो. 419-नग्रानि-2019.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि खरगोन निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 21 जनवरी 2019 को प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
2. जिला कलेक्टर, खरगोन
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, खरगोन.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खरगोन, मध्यप्रदेश.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खरगोन में इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

राहुल जैन, संचालक.

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2019

क्र. एफ-03-07-2019-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्र. 336-वि.यो.419-नगानि-2019, दिनांक 17 जनवरी 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 17th January 2019

NOTICE

No. 336-MPS-419-TCP-2019.—Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Khargone Planning area has been published on 21st January 2019 in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), a copy thereof is available, during office hours, for inspection at office of :—

1. Commissioner, Indore Division, Indore
2. Collector, District-Khargone
3. Chief Municipal Officer, Municipal Council, Khargone
4. Assistant Director, Town and Country Planning District, office Khargone, Madhya Pradesh.

If there be any objection or suggestion with respect to the said Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning, Khargone, before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration.

RAHUL JAIN, Director.